

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2797
गुरुवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

जैविक कचरे से ऊर्जा

2797. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में औद्योगिक और शहरी जैविक कचरे से ऊर्जा प्राप्ति की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में शहरी, कृषि और औद्योगिक कचरे से बिजली उत्पादन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने संयंत्र लगाए गए हैं;
- (ग) उत्पादन/कुशलता के संबंध में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा आवंटित/स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या इन संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

- (क) जीईएफ-यूएनआईडीओ द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से भारत में औद्योगिक और शहरी जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने की संभावना के लिए वर्ष 2016 में एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययन के अनुसार वर्ष 2017 तक भारत में शहरी और औद्योगिक जैविक कचरे से कुल अनुमानित ऊर्जा उत्पादन संभाव्यता लगभग 5690 मेगावाट है।
- (ख) देश में अब तक शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए 96 अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं सफलतापूर्वक संस्थापित की गई हैं। दिनांक 31.10.2019 की स्थिति अनुसार देश में संस्थापित किए गए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) उत्पादन/कौशल के संबंध में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के समक्ष आ रही प्रमुख चुनौतियाँ नीचे दी गई हैं:-

- i. नगरीय ठोस अपशिष्ट की खराब गुणवत्ता;
- ii. कचरे को बायोडिग्रेडेबल/सूखे/गीले/कार्बनयुक्त सामग्री, आदि घटकों से अलग करने के लिए एक कुशल तंत्र की कमी;
- iii. अपशिष्ट की संरचना और गुणों में मौसमी बदलाव;
- iv. अपशिष्ट से ऊर्जा प्रणालियों के लिए उच्च पूँजीगत और प्रचालन व रखरखाव लागत;
- v. स्वदेशी प्रौद्योगिकी की कमी।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 76 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई थी जिसमें से विभिन्न डेवलपर्स को बायोगैस/बायो सीएनजी/विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु 32.64 करोड़ रु. जारी किए गए। चालू वर्ष में अपशिष्ट से ऊर्जा तथा बायोमास कार्यक्रमों के अंतर्गत 75 करोड़ रु. की निधि का आवंटन किया गया तथा अभी तक बायोगैस/बायो सीएनजी/विद्युत उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं संस्थापित करने के लिए 0.82 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25 सितम्बर, 2014 को आयोजित अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की 11वीं बैठक में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के तहत मैसर्स ईस्ट दिल्ली वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी लि. (ईडीडब्ल्यूपीसीएल) को गाजीपुर, दिल्ली में 12 मेगावाट के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए व्यवहार्यता निधि अंतराल के रूप में 120 करोड़ रु. की राशि प्रदान करने का अनुमोदन दिया गया। ईडीडब्ल्यूपीसीएल को पूरी 120 करोड़ रु. की राशि की अदायगी दो किस्तों में की गई। 60 करोड़ रु. की पहली किस्त दिनांक 19.10.2016 को तथा 60 करोड़ रु. की दूसरी किस्त दिनांक 01 मार्च, 2017 को जारी की गई।

(ङ) और (च): अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का उद्देश्य विद्युत/बायोगैस/बायो सीएनजी के रूप में ऊर्जा प्राप्ति के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट सहित कृषि, औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट का उपयोग करना है। अभी तक योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डिस्टलरी, कागज और लुगदी, फार्मास्युटिकल उद्योगों आदि और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न अपशिष्ट/एफ्लुएंट से ऊर्जा की पुनः प्राप्ति के लिए 329.43 मेगावाट समतुल्य की संचयी क्षमता की 199 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

इन अपशिष्ट से बायोगैस/विद्युत की प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकियाँ संस्थापित की जाती हैं और ऐसे संयंत्र पर्याप्त और गुणवत्ता परक फीडस्टॉक की आपूर्ति से काम करते हैं, जिनका संचालन और रखरखाव नियमित रूप से सही तरीके से किया जाता है।

‘जैविक कचरे से ऊर्जा’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.12.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2797 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

“दिनांक 31.10.2019 की स्थिति अनुसार देश में विद्युत के उत्पादन के लिए स्थापित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की राज्य-वार संख्या का विवरण”

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विद्युत कनेक्शन के लिए स्थापित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	15
2	छत्तीसगढ़	1
3	दिल्ली	3
4	गुजरात	10
5	हरियाणा	2
6	कर्नाटक	5
7	मध्य प्रदेश	3
8	महाराष्ट्र	15
9	पंजाब	7
10	राजस्थान	1
11	तमिलनाडु	6
12	तेलंगाना	4
13	उत्तर प्रदेश	22
14	उत्तराखंड	2
	कुल	96
